

न्यायालय, समाहर्ता, सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

01/11/2017-18

83

देश पत्रक-ता०.....से.....
 ला-खगड़िया.....सा०.....सन्.....
 स का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने संबंध में।

स. की क्रम और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई टिप्पणी/तारीख-संज्ञित
07.2017	<p style="text-align: center;">02</p> <p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3457/सी0आर0 दिनांक 02.07.2017 द्वारा खगड़िया थाना काण्ड संख्या-301/2017 दिनांक 05.05.2017 धारा-30(ए0) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत जप्त किये गये प्रत्येक 200 एम0एल0 का देशी शराब-180 बोटल जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशनुसार नमूने की जाँच हेतु 04 (चार) बोटल देशी शराब जाँच हेतु भेजा गया है। शेष 176 (एक सौ छिहत्तर) बोटल कुल- 36 लीटर देशी शराब मालखाना में सुरक्षित रखा गया है। देशी शराब कुल- 36 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन-02 संलग्न है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि खगड़िया थाना कांड संख्या-301/2017 जप्त देशी शराब कुल- 36 (छत्तीस) लीटर को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में सनर्पित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: right;"> <i>सहायक अधीक्षक, खगड़िया</i> <i>01/11/2017</i> <i>सहायक अधीक्षक, खगड़िया</i> <i>01/11/2017</i> <i>सहायक अधीक्षक, खगड़िया</i> <i>01/11/2017</i> <i>सहायक अधीक्षक, खगड़िया</i> <i>01/11/2017</i> </p>

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।